

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – गिराज प्रसाद बंसल

किस्म मुकदमा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या-16/2022

तारीख रसू 06.01.2022

निर्णय दिनांक 17.01.2022

निर्णय

राजस्थान सरकार बनाम् उदयभान, श्रीभान पुत्रान बलवीर जाति गुर्जर निवासी बौसोली
रूपवास

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री उदयभान, श्रीभान पुत्रान बलवीर जाति गुर्जर निवासी बौसोली रूपवास ने ग्राम विरहटा तहसील बयाना के सिवायचक गैमु0 रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 122 मे रकबा 128 वर्गमीटर पर फसल रवी सम्बत 2078 मे अनाधिकृत रूप से फसल सरसो काशत कर अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 17.01.2022 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया। गैरसायल द्वारा अपने जबाव में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल रवी सम्बत 2078 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा/काशत करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल रवी सम्बत 2078 मे अतिचारी श्री उदयभान, श्रीभान पुत्रान बलवीर जाति गुर्जर निवासी बौसोली रूपवास पर ग्राम विरहटा तहसील बयाना के सिवायचक गैमु0 रास्ता भूमि खसरा नम्बर 122 मे रकबा 128 वर्गमीटर पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 2.00 रुपये का पचास गुना राशि 100 रुपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल अथवा अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय अनुसार बेदखली, फसल जप्ती, नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा माँग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)



दिनांक 24/01/2022 को
बयाना तहसील
गिराज प्रसाद बंसल
तहसीलदार